न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010000682026

Sessions Case/20/2026
State of U.P. Vs. Manish pal urf Kale
सत्र परीक्षण संख्या– 20/2026

सरकार बनाम मनीष उर्फ काले पुत्र नरेश
मु0अ0सं0 219/2025
अन्तर्गत धारा– 65(1),70(2) बी0एन0एस0 3/4(2), 5–जी/6 पोक्सो एक्ट , 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट
थाना बाबूगढ ,जिला– हापुड़।

दि0 20.03.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। अभियुक्त मनीष उर्फ काले पुत्र नरेश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 12.02.2026 अ0 धारा 250 बी0एन0एस0एस0 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को पूर्व में सुना जा चुका है । पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया ।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र दि0 12.02.2026 अ0 धारा 250 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर यह कथन किये गये है कि प्रस्तुत आवेदन अभियुक्त मनीष की ओर से उन्मोचन दायर किया जा रहा है। अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत दिनांक 02.01.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत मिलने के उपरांत तथा केस डायरी एवं जांच एजेंसी के दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप तय करने हेतु कोई मामला नहीं बनता है और इस मामले में उसकी संलिप्तता पूर्णतः निराधार है। जमानत पर विचार करने की अवस्था में भी , जैसा कि रिकॉर्ड से परिलक्षित होता है, आरोपों का मुख्य केंद्र बिंदु उन कृत्यों की गंभीरता और गुरुत्व पर ही केंद्रित था, जिन्हें कथित तौर पर सनी उर्फ विकास द्वारा अंजाम दिया गया था और वर्तमान अभियुक्त की इसमे कोई विशिष्ट अथवा प्रत्यक्ष भूमिका नहीं सौंपी गई थी। 18.08.2025 की कथित घटना के एक दिन बाद दर्ज की गई एफआईआर दिनांक 19.08.2025 में बताया गया है कि

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.03.25 15:39:20 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

सनी / विकास ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और ब्रेनवॉश करके और उसे 200 रुपये की पेशकश करके उसे अपने साथ गांव होशदारपुर जाने के लिए प्रेरित किया, जहाँ कथित अपराध एक ट्यूबवेल पर किया गया था, और जिसमें दो अज्ञात व्यक्तियों का भी जिक्र किया गया है। वर्तमान आरोपी मनीष की किसी भी भूमिका, उपस्थिति या भागीदारी का कोई खुलासा नहीं किया गया है। शिकायत सनी उर्फ विकास के इर्द गिर्द घूम रही बातों के आधार पर दर्ज की गई थी और अभियोजन पक्ष का मामला शुरू से अंत तक इस बात पर जोर देता है कि किस तरह कथित तौर पर सनी उर्फ विकास ने पीड़िता का अपहरण किया, उसे बहलाया फुसलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, इस प्रकार वह इस मामले का मुख्य और प्रमुख आरोपी बन जाता है। जाँच के दौरान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 और 183 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता, उसके पिता और माँ के बयानों में भी, वर्तमान आरोपी मनीष के नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, न तो पिता ने और न ही माँ ने यह कहा है कि मनीष घटना स्थल पर मौजूद था और न ही उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कथित अपराध को अंजाम देने में उसकी कोई भूमिका थी। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी स्वतंत्र सार्वजनिक चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया है, जो यह दावा करता हो कि उसने आरोपी मनीष को पीड़िता के साथ शामिल पाया हो। इस प्रकार आवेदक के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला हो या उसे किसी भी तरह से इस घटना में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों या स्वतंत्र पुष्टि द्वारा समर्थित नहीं है। अभियोजन पक्ष स्वयं यह स्वीकार कर्ता है कि टयूबवैल/संपत्ति विपिन चौधरी की है, जिसके पास चाबियों का विशेष कब्जा और नियंत्रण था, और जिसने वे चाबियाँ सनी उर्फ विकास को सौंपी थीं। जिससे कथित घटना है कि ट्यूबवेल जमीन और स्थल तक पहुँच संभव हो पाई। यह तथ्य इस बात को और भी पुष्ट करता है कथित घटना यदि कोई हुई हो, सनी उर्फ उर्फ विकास द्वारा ही संभव बनाई गई थी। जिसमें वर्तमान आरोपी की कोई भूमिका नहीं थी। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में केवल हाइमन योनि झिल्ली के फटने का जिक्र है और शरीर पर कोई बाहरी चोट या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। स्थापित चिकित्सकीय राय है कि इस तरह का निष्कर्ष यौन उत्पीड़न का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा फोरेंसिक जाँच पूरी हो चुकी है और DNA रिपोर्ट आरोपी मनीष से मेल नहीं खाती है। जिससे उसकी संलिप्तता पूरी तरह से खारिज हो जाती है। यदि अभियोजन पक्ष की सामग्री को पूरी तरह साझा इरादे तरह से स्वीकार

भी कर लिया जाये, तब भी आरोपी मनीष के बीच किसी भी प्रकार के संबंध, उकसावे या भागीदारी का कोई खुलासा नहीं होता है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोप तय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करती है। इन परिस्थितियों में वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना एक निर्दोष व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न होगा, जबकि आरोप और साक्ष्य स्पष्ट रूप से सन्नी उर्फ विकास के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिस पर अपहरण करने, बहलाने फुसलाने और अपराध करने का आरोप है। विवेचक ने प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में गलत मुल्जिम बनाया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परमजीत भाटिया बनाम उ0प्र0राज्य प्रार्थनापत्र अ0धारा 482 बी0एन0एस0एस0 नं0– 36716/2014 में पारित आदेश दि0 01.11.2023 में व्यक्त किए गए अभिमत को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित करने की याचना की गयी है ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनानत्रों में वर्णित आधारों के अनुरूप ही तर्क प्रस्तुत किये गये तथा यह प्रार्थना की गयी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है । अतः अभियुक्त को उन्मोचित किया जाये ।

जिसके विरूद्ध विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वैधानिक दृष्टि से पोषणीय नहीं है । प्रार्थनापत्र विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खण्डित होने येाग्य है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है । बचाव पक्ष द्वारा जो बिन्दु उठाए गए हैं, वह मामले के गुण दोष से सम्बन्धित है,जिनके सम्बन्ध में इस स्तर पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया जाना है । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं है ,अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त कर उनके विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये ।

आपरधिक न्याय विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि किसी मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के लिए न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है । इस स्तर पर न्यायालय को न तो मामले की तह में जाने की आवश्यकता होती है, न ही मामले का गुण दोष पर निस्तारण करना होता है ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए है , वह मामले के गुण दोष से सम्बन्धित है , जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही किया जा सकता है । इस स्तर पर न्यायालय को विवेचक द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर केवल प्रथम दृष्टया मामला ही बनता हुआ देखना होता है । वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' मैं इन्द्रपाल सिंह पुत्र वीर सिंह कस्बा बाबूगढ़ छावनी थाना बाबूगढ जनपद हापुड़ का रहने वाला जाटव जाति का व्यक्ति है। कल दिलाक 18.08.2025 को मेरी नाबालिग लड़की कु० ''वी' उम्र करीब 16 वर्ष को सनी उर्फ विकास पुत्र लक्ष्मीचन्द कश्यप निवासी ग्राम होशदारपुर गढ़ी थाना बाबूगढ दो सौ रूपये का लालच देकर बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ग्राम होशदारपुर गढ़ी के जगल में एक ट्यूबवैल पर ले गया और वहां पर समय करीब दो बजे दिन मेरी लडकी कु० ''वी' के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया वहा पर तीन लड़के आ गये थे। फिर सनी उर्फ विकास मेरी लड़की को मोटर साईकिल पर बैठाकर बाबूगढ़ छावनी तिराहे पर छोड गया। मैं अपनी पत्नी ज्योति को दवा दिलवाकर जब देर शाम को वापस घर आया तो मेरी लडकी ने यह सारी बात मुझे व मेरी पत्नी को बताई। मैं अपनी लड़की लेकर अपनी पत्नी ज्योति के साथ आज थाना आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर आवस्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में स्पष्ट तौर पर सहअभियुक्त सनी उर्फ विकास व 2 अन्य अभियुक्तगण को आपराधिक घटना में शामिल होना अंकित किया है । उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गयी। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना घटनास्थल सहअभियुक्त विपिन चौधरी का टयूबवैल होना पाया गया तथा विवेचक द्वारा पूछताछ करने पर सहअभियुक्त विपिन चौधरी द्वारा अपने ब्यान में प्रार्थी/अभियुक्त मनीष पाल उर्फ काले व सहअभियुक्त सन्नी उर्फ विकास द्वारा टयूबवैल पर नहाने की बात कहने पर उन्हें टयूबवैल की चाबी देना कहा है तथा बाद में विपिन चौधरी के टयूबवैल पर पहुचने पर वहां मनीष पाल उर्फ काले को पीडिता के साथ टयूबवैल के कमरे में पाये जाने का कथन किया है । विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उपलब्ध मोबाईल नम्बरो की सी0डी0आर0 व लोकेशन प्राप्त करने पर सहअभियुक्त सनी उर्फ विकास , विपिन

चौधरी व प्रार्थी/अभियुक्त मनीष उर्फ काले की लोकेशन घटनास्थल के निकट होना पायी जाना अंकित किया है तथा इस सम्बन्ध में सुसंगत साक्ष्य संकलित किया गया है तथा पूर्ण विवेचना उपरान्त सहअभियुक्त सनी उर्फ विकास के विरूद्ध धारा 137(2) बी0एन0एस0, 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट तथा प्रार्थी/अभियुक्त मनीष उर्फ काले पुत्र नरेश व सहअभियुक्त विपिन चौधरी के विरूद्ध धारा 65(1), 70(2) बी0एन0एस0, 3/4(2), 5–जी/6 पोक्सो एक्ट, 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किये गये । आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को मामले की तह में जाकर गुण दोष पर निस्तारण नहीं करना होता है ।

इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Gujarat v Dilipsinh Kishorsinh Rao, 2023 SCC OnLine SC 1294** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि – **"12. The primary consideration at the stage of framing of charge is the test of existence of a prima-facie case, and at this stage, the probative value of materials on record need not be gone into. This Court by referring to its earlier decisions in the State of Maharashtra v. Som Nath Thapa, (1996) 4 SCC 659 and the State of MP v. Mohan Lal Soni, (2000) 6 SCC 338 has held the nature of evaluation to be made by the court at the stage of framing of the charge is to test the existence of prima-facie case. It is also held at the stage of framing of charge, the court has to form a presumptive opinion to the existence of factual ingredients constituting the offence alleged and it is not expected to go deep into probative value of the material on record and to check whether the material on record would certainly lead to conviction at the conclusion of trial."**

इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय ने Karnataka Lokayukta, Police Station, Bengaluru v. M.R. Hiremath,(2019) 7 SCC 515.** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि – **"25. The High Court ought to have been cognizant of the fact that the trial court was dealing with an application for discharge under the provisions of Section 239 CrPC. The parameters which govern the exercise of this jurisdiction have found expression in several decisions of this Court. It is a settled principle of law that at the stage of considering an application for discharge the court must proceed on the assumption that the material which has been brought on the record by**

the prosecution is true and evaluate the material in order to determine whether the facts emerging from the material, taken on its face value, disclose the existence of the ingredients necessary to constitute the offence."

इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of T.N. v. N. Suresh Rajan, (2014) 11 SCC 709, adverting to the earlier decisions on the subject,this Court held: (SCC pp. 721-22, para 29)** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि – **"29. ... At this stage, probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction. In our opinion, what needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out. To put it differently, if the court thinks that the accused might have committed the offence on the basis of the materials on record on its probative value, it can frame the charge; though for conviction, the court has to come to the conclusion that the accused has committed the offence. The law does not permit a mini trial at this stage."**

इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय ने Captain Manjit Singh Virdi (Retd.) versus Hussain Mohammed Shattaf & Ors, 2023 LiveLaw (SC) 462** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि – **"The law on issue as to what is to be considered at the time of discharge of an accused is well settled. It is a case in which the Trial Court had not yet framed the charges. Immediately after filing of chargesheet, application for discharge was filed. The settled proposition of law is that at the stage of hearing on the charges entire evidence produced by the prosecution is to be believed. In case no offence is made out then only an accused can be discharged. Truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced can be done only at the stage of trial. At the stage of charge, the Court has to satisfy that a prima facie case is made out against the accused persons. Interference of the Court at that stage is required only if there is strong reasons to hold that in case the trial is allowed to proceed, the same would amount to abuse of process of the Court."**

इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से जो भी तर्क उठाये गये हैं , उस सम्बन्ध में पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस स्तर पर अभियुक्त पर आरोप विरचित किए जाने के लिए न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है। इस स्तर पर न तो मामले की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है , न ही साक्ष्य का गुणदोष पर विश्लेषण करना होता है । अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन के जो आधार लिए गए हैं, उस सब के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा ।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मनीष उर्फ काले पुत्र नरेश एवं सहअभियुक्त विपिन चौधरी के विरूद्ध धारा 65(1),70(2) बी0एन0एस0,3/4(2), 5–जी/6 पोक्सो एक्ट, 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट का आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है । उपरोक्त वर्णित तमाम विवेचना के आधार पर स्पष्टतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 12.02.2026 अ0 धारा 250 बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मनीष उर्फ काले पुत्र नरेश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 12.02.2026 अ0 धारा 250 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली दि0 31.03.2026 को वास्ते आरोप विरचन पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।